न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 58 / 2022 राजस्व वाद

नारायण लाल पुत्र श्री मांगी लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी— बरावलो का खेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. गिरधारी सिंह पुत्र श्री माधु सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी— मनोहरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शैल सिंह पुत्र श्री माधु सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी— मनोहरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. सोहनसिंह पुत्र श्री माधु सिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी— मनोहरपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. हजारी लाल पुत्र श्री जयराम गुर्जर आयु वयस्क निवासी— निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

——— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बाबत विभाजन आराजियात

उपस्थित :—

1. श्री मुकेश सिह —अधिवक्ता प्रार्थी / वादीगण
2. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

:: निर्णय ::

दिनांक—27 / 09 / 2022

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहैडा जाटान के खाता संख्या 238 में अंकित आराजी नम्बर 667 / 590 रकबा 9.0361 ... खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है। शामलाती होने से मौके पर सैदव मेड़ पाली की घास कटाई तथा खेत की हकाई , चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड़ एडी जारी किए गए। रजिस्टर्ड़ एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:40:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदे
सहायक कलक्टर करे

तीत होने पर भी प्रतिवादीगण 01 से 05, उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश देए गए। वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

ग्राम मनोहरपुरा पटवार हल्का निम्बाहैडा जाटान के खाता संख्या 238 में अंकित आराजी नम्बर 667/590 रकबा 3.0351 हैक्टयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है –

खाता संख्या– 238 का विभाजन निम्न प्रकार –

(1) खातेदार का नाम– वादी– नारायण लाल पुत्र श्री मांगी लाल गुर्जर निवासी– बरावलो का खेड़ा के नाम पर –।

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	667/590/1	1.5175 हैक्टयर		
योग	कुल किता 01	1.5175 हैक्टयर		

(2) खातेदारान– प्रतिवादी– हजारी लाल पुत्र श्री जयराम गुर्जर निवासी– निम्बाहेड़ा जाटान

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	667/590/2	0.3794 हैक्टयर		
योग	कुल किता 01	0.3794 हैक्टयर		

(3) खातेदारान– प्रतिवादी– शैलसिंह पुत्र श्री माधो सिंह राजपूत निवासी– मनोहरपुरा

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	667/590/3	0.3794 हैक्टयर		
योग	कुल किता 01	0.3794 हैक्टयर		

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2025.02.22 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

(4) खातेदारान– प्रतिवादी– गिरधारी सिंह पुत्र श्री माधो सिंह 1/2, सोहन सिंह पुत्र श्री माधो सिंह 1/2 राजपूत निवासी– मनोहरपुरा

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	667/590/4	0.7588 हैक्टयर		

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेडा

ोग	कुल किता 01	0.7588 हैक्टयर		

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज तारीख 27.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(महीपाल सिंह)

उपखड अधिकारी. पदेन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:00:15 IST
Reason: SelfAttested